

सरकारी गजट, उत्तराचल उत्तराचल सरकार द्वारा प्रकाशित

<u>असाधारण</u> विधायी परिशिष्ट भाग–1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 26 अप्रैल, 2005 ई0 बैशाख 06, 1927 शक सम्वत्

<u>उत्तरांचल शासन</u> <u>विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग</u> संख्या 489/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 26 अप्रैल, 2005 <u>अधिसूचना</u> विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित दूर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को दिनांक 23–04–2005 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 18, सन 2005 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2005)

DOON UNIVERSITY ACT, 2005 [Act No.18 of 2005]

दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2005)


दून विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो :--

अध्याय—एक प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 है।
MIC CI		(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
		नियत करे।
परिभाषाएं	2.	इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
		(क) ''शैक्षिक परिषद्'' से विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् अभिप्रेत है;
		(ख) ''सम्बद्ध महाविद्यालय'' से अधिनियम और विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था / महाविद्यालय अभिप्रेत है;
		(ग) ''स्वायत्त महाविद्यालय'' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्त घोषित महाविद्यालय अभिप्रेत है;
		(घ) ''कुलाधिपति'' से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;
		(ङ) ''संघटक महाविद्यालय'' से विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;
		(च) ''सभा'' से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;
		(छ) 'संकायाध्यक्ष'' से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;
		(ज) "निदेशक" से किसी विषय के अध्यापन और अनुसंधान के आयोजन व संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वार स्थापित संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है;
		(झ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के शक्षिक और अन्य कर्मचारीवृन्द सम्मिलित है;
		(ञ) ''कार्य परिषद्'' से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;
		(ट) ''संकाय'' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;
		(ठ) ''वित्त समिति'' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
		(ड) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;
		(ढ) ''संस्था'' से किसी विषय के अध्यापन और अनुसंधान के आयोजन व संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्था अभिप्रेत है;
		(ण) ''प्रबन्ध मण्डल'' से किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के संबंध में उसकी प्रबन्ध मण्डल समिति या उस महाविद्यालय या संस्था के मामलों के प्रबन्धन के लिए और उस रूप में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकाय अभिप्रेत है;
		(त) ''विहित'' का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है;

		(थ) ''प्राचार्य'' से किसी संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है और इसमें जहां प्राचार्य नहीं है, उप प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी अभिप्रेत है; (द) ''कुल सचिव'' से विश्वविद्यालय का कुल सचिव अभिप्रेत है;
		(ध) ''स्कूल'' से विश्वविद्यालय का स्कूल अभिप्रेत है;
		(न) ''राज्य'' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
		(प) ''परिनियमों,'' ''अध्यादेशों'' और ''विनियमों'' से क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;
		(फ) ''शिक्षक'' से आचार्य, सह—आचार्य, रीडर, सहायक आचार्य, प्रवक्ता या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे विश्वविद्यालय या संघटक महाविद्यालय में अनुदेश, शिक्षण या अनुसंधान के संचालन के लिये नियुक्त किया जाय और जिसमें संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य सम्मिलित है;
		(ब) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;
		(भ) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन स्थापित दून विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
		(म) ''कुलपति'' से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है।
		अध्याय—दो
		विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय की	3.	(1) दून विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा।
स्थापना		(2) विश्वविद्यालय ऊपर उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नाम वाला एक निगमित निकाय होगा और उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा अपने नाम से वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायेगा।
		(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय देहरादून में अवस्थित होगा और वह राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर, जो आवश्यक समझे, अपने अतिरिक्त परिसर
		स्थापित कर सकेगा।
विश्वविद्यालय के उद्देश्य	4.	विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार का ज्ञान और अवबोध का प्रसार और उसे उन्नत बनाना होगा।
उद्देश्य विश्वविद्यालय की	4. 5.	विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार का ज्ञान और अवबोध का
उद्देश्य		विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार का ज्ञान और अवबोध का प्रसार और उसे उन्नत बनाना होगा।
उद्देश्य विश्वविद्यालय की		विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार का ज्ञान और अवबोध का प्रसार और उसे उन्नत बनाना होगा। विश्वविद्यालय में निम्नलिखित शिक्तयां और कर्तव्य निहित होंगे, अर्थात:—— (1) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, आधुनिक विषयों पर विशेष लक्ष्य रखते हुए, जिससे वे प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में उत्कृष्टता का केन्द्र बन सके, अनुदेश के लिए उपबन्ध करना और ज्ञान के उन्नयन और प्रसार के लिए अनुसंधान
उद्देश्य विश्वविद्यालय की		विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार का ज्ञान और अवबोध का प्रसार और उसे उन्नत बनाना होगा। विश्वविद्यालय में निम्नलिखित शिक्तयां और कर्तव्य निहित होंगे, अर्थात:—— (1) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, आधुनिक विषयों पर विशेष लक्ष्य रखते हुए, जिससे वे प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में उत्कृष्टता का केन्द्र बन सके, अनुदेश के लिए उपबन्ध करना और ज्ञान के उन्नयन और प्रसार के लिए अनुसंधान की व्यवस्था करना; (2) किसी स्वायत्त महाविद्यालय एवं ऐसे अन्य महाविद्यालय को, जिसे विहित किया जा सके, सम्बद्धता / सहयोग की प्रसुविधाओं के लिए ग्रहण करना या ऐसी सम्बद्धता को वापस लेना और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों द्वारा विहित शर्तों पर सम्बद्ध



विश्वविद्यालय में सभी वर्गों, जातियों,	7.	विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा, भले ही वे किसी भी वर्ग, जाति, पंथ या लिंग के हों :
मतों एवं लिंग के लिए खुला होना		परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में अध्यादेश द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है :
		परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने पर प्रतिबन्ध है।
मानक तथा प्रत्यायन	8.	(1) विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समय—समय पर संशोधित मानकों / विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।
		(2) विश्वविद्यालय संबंधित राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्था / संस्थाओं से जैसा अपेक्षित हो, मान्यता प्राप्त करेगा।
		अध्याय— 3
		विश्वविद्यालय के अधिकारी
विश्वविद्यालय के	9.	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे——
अधिकारी		(क) कुलाधिपति;
		(ख) कुलपति;
		(ग) प्रति–कुलपति;
		(घ) संकायाध्यक्ष;
		(ड) कुलसचिव;
		(च) वित्त अधिकारी; और
		(छ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जा सकेगा।
कुलाधिपति	10.	(1) राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।
		(2) कुलाधिपति, जब उपस्थित हो तो उपाधियों और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।
		(3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के किसी कार्य से संबंधित ऐसी सूचना मंगा सकेगा तथा उस पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जो वह विश्वविद्यालय के हित में ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा अधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
		(4) मानद उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।
		(5) कुलाधिपति समय—समय पर विश्वविद्यालय की प्रगति और कार्य के पुनर्विलोकन के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, जो उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर कुलाधिपति उस पर कार्य परिषद् के विचार प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्यवाही कर सकेगा तथा ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह रिपोर्ट में व्यवहृत किसी मामले के सम्बन्ध में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों के अनुपालन के लिए बाध्य होगा। (6) कुलाधिपति ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्कर का तथा विश्वविद्यालयों द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था का और विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन और किए
		जा रहे अन्य कार्यों का भी निरीक्षण कराने का तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी मामले की बावत की जाने वाली जांच कराने का भी अधिकार होगा।

		(7) कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना देगा और विश्वविद्यालय अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण एवं जांच में उपस्थित रहने व सुने जाने का अधिकार होगा।
		(8) कुलाधिपति, कुलपति को ऐसे निरीक्षण और जांच के परिणाम सन्दर्भित करेगा और कुलपति कार्य परिषद् को कुलाधिपति द्वारा दिए गए ऐसे परामर्श एवं उस पर की गई कारवाई सहित उनके आशय से अवगत करायेगा।
		(9) कार्य परिषद् कुलपित के माध्यम से कुलाधिपित को ऐसी कार्यवाही यदि कोई है, जो वह ऐसे निरीक्षण की जाचं के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या जो की गई है, संसूचित करेगा।
		(10) जब कार्य परिषद् समुचित समय के अन्दर कुलाधिपति के समाधान रूप में कार्रवाई नहीं करती है तो कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश, जैसा वह ठीक समझे, दे सकेगा और कार्य परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
		(11) कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को अकृत कर सकेगा, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है।
कुलपति	11.	(1) कुलाधिपति के द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी :
		परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा वह तीन वर्ष के अवधि के लिए पद धारण करेगा।
		(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे; अर्थात् :
		(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;
		(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति;
		(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव, जो सदस्य संयोजक होगा;
		(3) सिमिति गुणावगुण के आधार पर कुलपित का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टयों के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपित को भेजेगी।
		(4) कुलपित विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।
		(5) जहां शिक्षक की नियुक्ति से भिन्न कोई मामला ऐसी आवश्यक प्रकृति का हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।
		(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किये जायें।
		(7) इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करने का कर्तव्य कुलपति का होगा।

[
		(8) कुलाधिपति, कुलपति को हटाने के लिए या जाचं के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत् रखते हुए निलम्बित करने के लिए, जो भी वह ठीक समझे, सशक्त है।
प्रतिकुलपति	12.	प्रति—कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी रीति से की जा सकेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
संकायाध्यक्ष	13.	प्रत्येक संकाय और स्कूल का प्रधान संकायाध्यक्ष होगा। संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
कुलसचिव	14.	(1) ¹ { राज्य सरकार द्वारा कुलसचिव, उप कुलसचिव, और सहायक कुलसचिव की नियुक्ति 'केन्द्रीयकृत सेवानियमावली' के माध्यम से ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसा विहित किया जाय।}
		(2) कुलसचिव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा और कुलपति के पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण में कार्य करेगा।
		(3) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।
		(4) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जायें, या परिनियमों या कुलपित द्वारा समय—समय पर अपेक्षित हों।
		(5) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं और दस्तावेज, जो उनके कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक हों प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा।
		(6) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि परिनियमों या अध्यादेशों में विहित किया जाय या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय—समय पर अपेक्षित हो।
वित्त अधिकारी	15.	(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
		(2) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय के बजट (वार्षिक आंकलन) विवरण कार्य परिषद् के सम्मुख रखने, विश्वविद्यालय की निधियों के सामान्य पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा।
		(3) वह सीधे कुलपति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।
		(4) उसे कार्य परिषद् की कार्यवाहियों में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत डालने का हकदार नहीं होगा।
		(5) उसका विश्वविद्यालय की निधियों के सामान्य पर्यवेक्षण एवं वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देने का कर्तव्य होगा :—
		(क) वह यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय, जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाये;
		(ख) ऐसे प्रस्तावित व्यय को अनुज्ञात नहीं करेगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किसी परिनियम या अध्यादेश की शर्तो के उल्लघंन में हो;
		(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है और संपरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्रवाई करेगा;

		(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधान संरक्षित और सुप्रबन्धित हो;
		(ङ) लेखाओं की नियमित रूप से संपरीक्षा करायेगा।
		(6) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायं।
विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी	16.	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निर्बन्धन और शर्तें तथा शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किए जायें।
		अध्याय—4
		विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	17.	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :——
		(क) सभा;
		(ख) कार्य परिषद् ;
		(ग) शैक्षिक परिषद् ;
		(घ) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के रूप में घोषित किये जायें।
सभा	18.	(1) सभा विश्वविद्यालय की एक परामर्शी निकाय होगी और उसे विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करने की, वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने और संकल्प पारित करने की तथा कुलपित या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उसे निर्दिष्ट मामलों पर सलाह देने की शक्ति होगी।
		(2) सभा निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी; अर्थात् :
		पदेन सदस्य
		(क) कुलाधिपति;
		(ख) कुलपति;
		(ग) प्रतिकुलपति;
		(घ) कार्य परिषद् के ऐसे शेष सदस्य, जो अन्यथा सभा के सदस्य नहीं हैं;
		(ड) संकायाध्यक्ष;
		(च) कुलसचिव;
		(छ) वित्त अधिकारी;
		(ज) विश्वविद्यालय की पुस्तकालयाध्यक्ष;
		(झ) समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों, यदि कोई है, के सभी प्राचार्य;
		(স) विश्वविद्यालय की संस्था / स्कूलों के प्रधान;
		(ट) राज्य विधान सभा के दो प्रतिनिधि, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना है;
		(ठ) लब्ध प्रतिष्ठित वृत्तियों, उद्योग, वाणिज्य और कृषि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस से अनधिक व्यक्ति, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाना है :
		परन्तु यह कि नामांकन करते समय विभिन्न हितों, वृत्तियों और योग्यता को सम्यक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा;

द्वि । वरवावजाराव	•11-11-1	, _	555)
			(ड) शिक्षकों के प्रतिनिधि —पांच शिक्षक, जिनका विहित रूप से चयन किया जाना है :
			परन्तु यह कि शिक्षकों के प्रथम प्रतिनिधि कुलाधिपति द्वारा नामित किये जायेंगे;
			(ढ) प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधि :— सम्बद्ध महाविद्यालयों के यदि कोई है, की प्रबन्ध समिति के दो प्रतिनिधि, जो विहित रीति से नामित किये जायेंगे :
			परन्तु यह कि प्रबन्ध समितियों में प्रथम प्रतिनिधि कुलाधिपति द्वारा नामित किये जायेंगे;
			(ण) छात्रों के प्रतिनिधि — प्रत्येक संकाय का एक प्रतिनिधि, जो संकाय के पूर्ववर्ती उपाधि की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करे और विश्वविद्यालय में स्नात्तकोत्तर उपाधि के लिए अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में, का हो;
		(3)	पदावधि और बैठकों के संचालन के लिए प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाय।
कार्य परिषद्	19.	(1)	कार्य परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :
			(क) कुलपति, — अध्यक्ष
			(ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो
			(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव
			(घ) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव
			(ङ) विहित रीति से चकानुकम में दो संकायाध्यक्ष;
			(च) विश्वविद्यालय के संकायों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आचार्य, जो विहित रूप से चयनित किया जाय;
			(छ) विहित रीति से चयनित किये जाने वाले सम्बद्ध महाविद्यालयों के, यदि कोई है, दो प्राचार्य;
			(ज) कुलाधिपति द्वारा नामित सभा के तीन सदस्य, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा;
			(झ) कुलाधिपति के तीन नामित व्यक्ति, जो उद्योग, प्रबन्धन, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे।
		(2)	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी; अर्थात् :
			(क) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों को अधिकथित करना;
			(ख) विश्वविवालय की सम्पत्ति और निधियों को धारित करना और उन पर नियंत्रण रखना;
			(ग) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना कि वे उपबन्धों के अनुरूप हैं या नहीं;
			(घ) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना;

		,
		(ड.) सम्बद्धता प्रदान किया जाना या ऐसी सम्बद्धता का प्रत्याहरण विश्वविद्यालय के परिनियमों में विहित रीति से किया जाना;
		(च) नवीन या अतिरिक्त परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों की संस्तुति करना या विश्वविद्यालय के पूर्व परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों का संशोधन या निरसन करना;
		(छ) राज्य सरकार को भेजने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करना;
		(ज) ऐसे विनिश्चय करना और कदम उठाना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वांछनीय पाये जाते हैं; और (झ) सम्बद्ध या संघटक महाविद्यालयों, यदि कोई हो, के निरीक्षण की और निर्देश देने की व्यवस्था करना :
		परन्तु यह कि कार्य परिषद् के प्रथम सदस्यों को कुलाधिपति द्वारा नामित किया जायेगा और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
		(3) कार्य परिषद् की एक वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होगी, जैसा कुलपति ठीक समझे।
शैक्षिक परिषद्	20.	शैक्षिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी, जिसका गठन, पदावधि तथा संगत उपबन्ध ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाये।
अन्य पदाधिकारी	21.	धारा 17 के मद (घ) में निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी की संरचना, कृत्य और कार्यवाही ऐसी होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाय।
		अध्याय—5
		परिनियम, अध्यादेश और विनियम
परिनियम	22.	इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए परिनियमों में व्यवस्था की जा सकेगी; अर्थात् :——
		(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों की संरचना, शक्तियां और कर्तव्य, ऐसे प्राधिकारियों की सदस्यता के लिए अईताएं और निरईताएं, उनके सदस्यों की नियुक्ति और पद से हटाया जाना तथा उसे संबंध अन्य मामले;
		(ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य;
		(ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की निबन्धन और शर्ते तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य;
		(घ) विश्वविद्यालय का प्रशासन संघटक महाविद्यालयों की स्थापना और उनका उत्सादन, सम्बद्ध / संघटक महाविद्यालयों, यदि कोई हो, को सम्बद्धता प्रदान करना और उसका प्रत्याहरण अध्येतावृत्तियों, पुरस्कारों इत्यादि को संस्थित करना, उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना तथा प्रमाण—पत्र और डिप्लोमा प्रदान करना;
		(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों बैठकों के संचालन के लिए प्रक्रिया;
		(च) कोई अन्य विषय, जो कि विश्वविद्यालय के समुचित और प्रभावी प्रबन्धन तथा कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक हो और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना है या किया जा सकेगा।

परिनियम कैसे बनाये	23.	(1) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे।
जायेंगे		(2) कार्य परिषद्, समय—समय पर इस धारा में विहित रीति से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या परिनियमों में संशोधन या निरसन कर सकेगी :
		परन्तु यह कि कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियां या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी या उसमें कार्य परिषद् द्वारा उस पर कोई संशोधन नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्ति करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त राय लिखित रूप में होगी और कार्य परिषद् द्वारा उस पर विचार किया जायेगा :
		परन्तु यह और कि कार्य परिषद् छात्रों के अनुशासन और अनुदेश शिक्षा के मानकों तथा परीक्षा पर प्रभाव डालने वाला कोई परिनियम शैक्षिक परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् ही बनायेगी, अन्यथा नहीं।
		(3) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियम में किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसमें अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या कार्य परिषद् के विचारार्थ उसे लौटा सकेगा।
		(4) किसी नये परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाले परिनियम की तब तक कोई वैधता नहीं होगी, जब तक कुलाधिपति द्वारा उस पर अनुमति न दे दे।
		(5) पूर्वगार्मी उपधाराओं में किसी अन्य बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हित में या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह / संस्तुतियों के आधार पर कुलाधिपति के अनुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या पहले से प्रवृत्त परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगी।
अध्यादेश	24.	(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन निम्न सभी या किसी मामले में उपबन्ध कर सकेंगे; अर्थात् :—
		(क) छात्रों के प्रवेश, अध्ययन, पाठ्यक्रम और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण–पत्रों तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टियों से सम्बन्धित अर्हताएं, अध्येतावृत्तियां, पुरस्कार इत्यादि दिए जाने के लिए शर्ते;
		(ख) परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की पदावधि और नियुक्ति साहित और छात्रों के निवास की शर्तें तथा उनका सामान्य अनुशासन;
		(ग) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों का प्रबन्धन; तथा
		(घ) अन्य कोई मामले, जो कि इस अधिनियम या परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हैं या अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किये जा सकेंगे।
		(2) प्रथम अध्यादेश, राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा किसी समय परिनियमों में विहित रीति से संशोधित, निरसित या परिवर्धित किये जा सकेंगे।
विनियम	25.	विश्वविद्यालय अपने और उसके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों से संगत अशों, जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों मे जो उपबन्धित नहीं किया गया है, परिनियमों में विहित रीति से विनियम बना सकेगा।

		अध्याय—6
		प्रकीर्ण
वार्षिक रिपोर्ट	26.	(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निर्देशन के अधीन तैयार की जायेगी और ऐसी तारीख को या उसके पूर्व, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाय, सभा को प्रस्तुत की जायेगी और सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में उस पर विचार किया जायेगा।
		(2) सभा उस पर अपनी टीका टिप्पणी कार्य परिषद् को संसूचित कर सकेगी, जो उस पर अग्रेत्तर कार्यवाही, जो वह ठीक समझे कर सकेगी।
लेखाओं की सम्परीक्षा	27.	(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन—पत्र, कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करें, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर, उनकी सम्परीक्षा की जायेगी।
		(2) वार्षिक लेखाओं, तुलन—पत्र और सम्परीक्षा रिपोर्ट पर सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा और सभा के संकल्प द्वारा उसके प्रतिनिर्देश से संस्तुतियां की जा सकेगी और उन्हें कार्य परिषद् को संसूचित करेगी।
		(3) वार्षिक लेखा और तुलन पत्र की एक प्रति उस पर सम्परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के सम्प्रेक्षणों, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।
		(4) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किए गए कोई भी संप्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लाये जायेंगे। ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।
		(5) कुलपित का कार्य परिषद् के लिए कोई व्यय उपगत करना विधिपूर्ण नहीं होगा, जो या तो बजट में स्वीकृत न हो या विश्वविद्यालय को अनुदत्त निधियों के मामले में बजट की मंजूरी के पश्चात् राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी शर्तों पर स्वीकृत अनुदान पश्चात्वर्ती स्वीकृत हो :
		परन्तु यह कि कुलपति अग्नि, बाढ़, अत्यधिक वर्षा या अन्य अचानक या अदृश्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न अनावर्ती व्यय, जो कि दस हजार रुपए तक का हो, बजट में स्वीकृत न होने पर भी उपगत कर सकेगा।
रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय अधिकारियों और	28.	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि :——
निकायों की कार्यवाहियों का		(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, या
अविधिमान्य न होना		(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामांकन या
		(ग) नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या
		(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी, जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

कठिनाइयों का निराकरण	29.	 (1) राज्य सरकार, किसी किटनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसी अविध में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे : परन्तु 31 दिसम्बर, 2005 के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा। (3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कितनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।
विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना	30.	कार्य परिषद्, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है, जो कार्य परिषद् की राय में नैतिक अधमता संबंधित अपराध हो या इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है, जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकेगी और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकेगी।
कुलाधिपति को संदर्भ	31.	यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत विनियम की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा : परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश :—— (क) उस दिनांक के जबिक प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात; या (ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायेगा।
वाद का वर्जन	32.	राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरूद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिए न कोई वाद या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।
विश्वविद्यालय के अभिलेखों को सिद्ध करने की रीति	33.	(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रिजस्टर की किसी प्रविष्ट की प्रति यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रिजस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती, तो साक्ष्य के रूप में ग्राहय होती।

		(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख, जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती है या साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।
अपील करने का अधिकार	34.	इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी अथवा छात्र को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या ऐसे संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी विनिश्चय के विरूद्ध ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाय, कार्य समिति को अपील करने का अधिकार होगा तथा उस पर कार्य परिषद् उस विनिश्चय की, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकेगी, उसमें उपान्तरण कर सकती है अथवा उसको परिवर्तित कर सकती है।

DOON UNIVERSITY ACT, 2005 [Act No.18 of 2005]

AN ACT


to establish a University to be known as Doon University;

Be it enacted in the Fifty-sixth year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislative Assembly as follow:-

Chapter-I Preliminary


_			Preliminary
Short title and	1.	(1)	This Act may be called the Doon University Act, 2005.
commencement		(2)	It shall come into force on such date, as the State Government may by notification in the Official Gazette appoint.
Definitions	2.		In this Act, unless the context otherwise requires,-
		(a)	'Academic Council' means the Academic Council of the University;
		(b)	'Affiliated College' means a college affiliated to the University in accordance with the provisions of this Act and Status of that University;
		(c)	'Autonomous College' means the college declared autonomous by the University Grants Commission;
		(d)	'Chancellor' means the Chancellor of the University;
		(e)	'Constituent College' means a college or an institution maintained by the University;
		(f)	'Court' means the Court of the University;
		(g)	'Dean' means a Dean appointed as per provisions of this Act;
		(h)	'Director' means Head of an Institute established by the University to organize and conduct teaching and research in any subject;
		(i)	'Employee' means employee appointed by the University and includes teachers and other staff of the University or a constituent college;
		(j)	'Executive Council' means the Executive Council of the University;
		(k)	'Faculty' means faculty of the University;
		(1)	'Finance Committee' means the Finance Committee of the University;
		(m)	'Government' means the Government of Uttarakhand;
		(n)	'Institute' means an institute established by the University to organize and conduct teaching and research in any subject;
		(0)	'Management in relation to an affiliated college' means the Management Committee or other body charged with managing the affairs of that college or institution and recognized as such by he University;
		(p)	Prescribed' means prescribed by the Statues or Ordinances;

		(q) 'Principal in relation to a constituent college' means the head of the constituent college and includes where there is no Principal, the Vice Principal or any other person for the time being appointed to act as principal;
		(r) 'Registrar' means the Register of the University;
		(s) 'School' means school of the University;
		(t) 'State' means the State of Uttarakhand;
		(u) 'Statutes', 'Ordinances' and 'Regulations' means respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;
		(v) 'Teacher' means a Professor, Associate Professor, Reader, Assistant Professor, lecturer or such other person as may be appointed for imparting instruction, teaching or conducting research in the University or in a Constituent College and includes the Principal of a Constituent College;
		(w) 'University Grants Commission' means University Grant Commission established under University Grants Commission Act, 1956;
		(x) 'University' means the Doon University established under the Act;
		(y) 'Vice Chancellor' means Vice Chancellor of the University.
		Chapter-II
	_	The University
Establishment of the	3.	(1) There shall be established a University to be known as 'Doon University'.
University		(2) The University shall be a body corporate by the name specified in subsection (1) above and shall have a perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its name.
		(3) Headquarters of the University shall be located at Dehradun and it may establish its additional campus at such other places as considered necessary with the prior approval of the State Government.
Objects of the University	4.	Objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge and understanding by teaching, research and extension.
Powers and	5.	The University shall have following powers and duties; namely:-
Duties of the University		(1) to provide for instruction in such branches of learning as the University may think fit with particular emphasis on modern subjects aiming at becoming centers of excellence in each such area and to make provision for research for the advancement and dissemination of knowledge.
		(2) to admit any autonomous college or such other college as may be prescribed to the privileges of affiliation or withdraw such affiliation and to guide and control the work of affiliated colleges on the conditions prescribed by first statutes of the University.
		(3) to institute degrees, diplomas and other academic distinctions.
		(4) to establish faculties, schools and such other academic bodies as per provisions of the statutes.



.....

[The Doon Univ	crsuy	110, 2003		
University open to all classes, castes, creed & gender	7.	The University shall be open to all persons irrespective of class, caste, creed or gender, but nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinance:		
		Provided that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study more than the number of students as may be determined by the Regulations:		
		Provided further that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provision for admission of students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes.		
Norms and Accreditation	8.	(1) The University shall conform to the norms/regulation of University Grants Commission as amended from time to time.		
		(2) The University will seek accreditation from the concerned national body/ies, as required.		
		Chapter-III		
		Officers of the University		
Officers of the	9.	The following shall be the officers of the University:-		
University		(a) the Chancellor;		
		(b) the Vice-Chancellor;		
		(c) the Pro Vice-Chancellor;		
		(d) the Dean of Faculties;		
		(e) the Registrar;		
		(f) the Finance Officer; and		
		(g) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.		
The	10.	(1) The Governor of the State shall be the Chancellor of the University.		
Chancellor		(2) The Chancellor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degrees and diplomas.		
		(3) The Chancellor may call for such information relating to any affair of the University and issue such directions thereupon as the Chancellor may deem fit in the interest of the University and the authorities and the officers of the University shall comply with such directions.		
		(4) Every proposal for conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the approval of the Chancellor.		
		(5) The Chancellor may, from time to time, appoint one or more persons to review the work and progress of the University and to submit a report thereon and upon receipt of that report, the Chancellor may after obtaining the views of the Executive Council thereon, take such action and issue such directions as he considers necessary in respect of any of the matters dealt with in the report and the University shall be bound to comply with such directions.		
		(6) The Chancellor shall also have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct of the University, its buildings, laboratories and equipments and of any institution maintained by the University and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with the University.		



		(8) The Chancellor is empowered to remove the Vice-Chancellor or suspend the Vice-Chancellor during enquiry depending upon the seriousness of the charges, as he may deem fit.
The Pro-Vice- Chancellor	12.	Pro-Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor for period specified with prior approval of the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.
Deans of Faculties	13.	Every faculty or a School shall be headed by a Dean. The Deans of faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.
The Registrar	14.	(1) ¹ [The Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar shall be appointed by the State Government through 'Centralised Service Rules' in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.]
		(2) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer and shall work under the supervision, direction and control of the Vice-Chancellor.
		(3) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.
		(4) The registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Statutes or the Vice-Chancellor.
		(5) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice Chancellor or any other authority, all such information and documents as may be necessary for transaction of their business.
		(6) He shall perform such other duties as may be prescribed in the Statutes or Ordinance or as may be required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor.
The Finance Officer	15.	(1) There shall be a finance officer for the University, who shall be appointed by the State Government by notification published in the official Gazette and his remuneration and allowances shall be paid by the University.
		(2) The Finance Officer shall be responsible for exercising general supervision over the funds of the University and for presenting the budget (annual estimates) and the statement of the accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.
		(3) He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.
		(4) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.
		(5) He shall have duty the duty to exercise general supervision over the funds of the University and advise on financial policy:-
		(a) to ensure that no expenditure, not authorized in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment);
		(b) to disallow proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Statutes or Ordinances;
		(c) to ensure that no financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;

		(d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed; and
		(e) to have the accounts audited regularly.
		(6) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed.
Other Officers of the University	16.	The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of other officers of the University shall be such as may be prescribed.
CHIVEISILY		Chapter-IV
		Authorities of the University
Authorities of	17.	The following shall be the Authorities of the University; namely:-
the University		(a) the Court;
		(b) the Executive Council;
		(c) the Academic Council;
		(d) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the Authorities of the University.
The Court	18.	 (1) The Court shall be an advisory body of the University and shall have the power to review the broad policies and programmes of the University, suggest measures for the improvement and development of the University, to consider and pass resolution on the annual report and to render advice on matters referred to it by the Vice-Chancellor or any other authority of the University. (2) The Court shall consist of the following members; namely:-
		Ex- officio members
		(a) the Chancellor;(b) the Vice-Chancellor;
		· · ·
		(c) the Pro Vice-Chancellor;(d) the remaining members of the Executive Council, who are not otherwise members of the Court;
		(e) Deans;
		(f) the Registrar;
		(g) the Finance Officer;
		(h) the University Librarian;
		(i) All Principals of affiliated colleges, if any;
		(j) Head of schools/Institutes of the University;
		(k) Representatives of the State Legislature—
		Two representatives of the State Assembly to be nominated by the Speaker;
		(l) Persons representing Learned Professions, Industry Commerce and Agriculture-Not more than ten persons representing learned professions to be nominated by the Chancellor:
		Provided that in making nominations due regard shall be given to the representation of different interests, professions and learning;

_		· -
		(m) Representatives of teachers- Five teachers to be selected in the manner prescribed:
		Provided that the first representatives of teachers shall be nominated by the Chancellor;
		(n) Representatives of management- Two representatives of the managements of affiliated colleges, if any, in the manner prescribed :
		Provided that the first representatives of management shall be nominated by the Chancellor;
		(o) Representatives of students- One representative each of the Faculties who, having secured the highest marks in that Faculty at the preceding degree examination and is pursuing a course of study for a post graduate degree in the University.
		(3) The term of office and procedure for the conduct of meetings shall be such as may be prescribed.
Executive	19.	(1) The Executive Council shall consist of the following; namely:-
Council		(a) the vice-Chancellor - Chairman;
		(b) the Pro-Vice-Chancellor, if any;
		(c) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department;
		(d) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Finance Department;
		(e) Two Deans of Faculties by rotation in the manner prescribed;
		(f) One Professor representing one of the University faculties to be selected in the manner prescribed;
		(g) Two Principals of affiliated colleges, if any, to be selected in the manner prescribed;
		(h) Three members of the Court nominated by the Chancellor, none of whom shall be an employee of the University;
		(i) Three nominees of the Chancellor, who shall be persons of eminence in areas like Industry, Management, Higher Education, Science and Technology.
		(2) The Executive Council shall be the executive body of the University and subject to the provisions of this Act, shall have the following powers; namely:-
		(a) to lay down policies to be pursued by the University;
		(b) to hold and control the property and funds of the University;
		(c) to review decisions of the other authorities of the University, if they are not in conformity with the provisions of this Act, the statutes or the Rules;
		(d) to approve annual report and the budget every year of the University;

		(e) to grant affiliation or withdraw such affiliation as prescribed in the Statutes of the University;
		 (f) to recommend new or additional Statutes, Ordinances and regulations or amend or repeal the earlier Statutes, Ordinances and regulations of the University;
		(g) to approve proposals for submission to the State Government;
		(h) to take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objects of the University; and
		(i) to arrange for and direct the inspection of affiliated colleges or constituent Colleges, if any:
		Provided that the first members of the Executive Council shall be nominated by the Chancellor and shall hold office for a term of three years.
		(3) The Executive Council shall, meet at least three times in a year at such time and place as the Vice-Chancellor deems fit.
Academic Council	20.	The Academic Council shall be the academic body of the University and its constitution, term of office and related provisions shall be such as may be prescribed by the Statutes.
Other authorities	21.	Composition, functions and term of office of any other authority referred to in item (d) of section 17 shall be such as may be prescribed in the Statutes.
		Chapter-V Statutes, Ordinances and Regulations
Statutes	22.	•
Statutes	22.	Statutes, Ordinances and Regulations Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any
Statutes	22.	Statutes, Ordinances and Regulations Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters; namely:- (a) The Constitution, powers and duties of the authorities and other bodies of the University, the qualifications and disqualifications for membership of such authorities and other bodies, appointment and removal of members thereof
Statutes	22.	Statutes, Ordinances and Regulations Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters; namely:- (a) The Constitution, powers and duties of the authorities and other bodies of the University, the qualifications and disqualifications for membership of such authorities and other bodies, appointment and removal of members thereof and other matters connected therewith;
Statutes	22.	Statutes, Ordinances and Regulations Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters; namely:- (a) The Constitution, powers and duties of the authorities and other bodies of the University, the qualifications and disqualifications for membership of such authorities and other bodies, appointment and removal of members thereof and other matters connected therewith; (b) The appointment, powers and duties of the officers of the University; (c) the appointment, terms and conditions of service and the powers and duties of
Statutes	22.	Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters; namely:- (a) The Constitution, powers and duties of the authorities and other bodies of the University, the qualifications and disqualifications for membership of such authorities and other bodies, appointment and removal of members thereof and other matters connected therewith; (b) The appointment, powers and duties of the officers of the University; (c) the appointment, terms and conditions of service and the powers and duties of the employees of the University; (d) the Administration of the University, the establishment and abolition of constituent Colleges, the grant and withdrawal of affiliation of affiliated colleges/constituent colleges if any the institution of Fellowships, Awards and the like, the conferment of degrees and other academic distinctions and the

Statutes how Made	23.	(1) The first Statutes shall be made by the State Government by notification in the Official Gazette.
		(2) The Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes in the manner hereafter prescribed in this section:
		Provided that the Executive Council shall not make, any Statutes or any amendment of Statutes affecting the status, power or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity to expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Executive Council:
		Provide further that no Statutes shall be made by the Executive Council affecting the discipline of students and standards of instructions, education and examination except after consultation with the Academic Council.
		(3) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of a Statute shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold assent or remit to the Executive Council for consideration.
		(4) A new Statute or a Statue amending or repealing an existing statute shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor.
		(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-section, the State Government may, in the interest of the State or National Education Policy or based on the advice/recommendation of UGC, with the assent of the Chancellor, make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes already in force.
Ordinances	24.	(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters; namely:-
		 (a) the admission of students, the courses of study and the fees thereof, the qualifications pertaining to degrees, diplomas, certificates and other Academic distinctions, the conditions for the grant of Fellowships, Awards and the like;
		 (b) the conduct of examinations, including the terms of office and appointment of examiners and the conditions of residence of students and their general discipline;
		(c) the management of Colleges affiliated to the University; and
		(d) any other matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided by the Ordinances.
		(2) The first Ordinance shall be made by the State Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statutes.
Regulations	25.	The University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances for the conduct of their own business and that of the committees appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinance in the manner prescribed by the Statutes.

		Chapter-VI Miscellaneous
Annual Report	26.	(1) The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or before such date as may be prescribed by the Statutes and shall be considered by the Court at its annual meeting.
		(2) The Court may communicate its comments thereon to the Executive Council, which may take further action as it thinks fit.
Audit of Accounts	27.	 The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall, once at least every year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Director, Local Fund Accounts, Uttarakhand or by such person or persons as the State Government may authorize in this behalf. The annual accounts, the balance-sheet and the audit report shall be considered by the Court at its annual meeting and the Court may, by resolution make recommendations with reference thereto and communicate the same to the Executive Council.
		(3) A copy of the annual accounts and the balance sheet together with the audit report thereon shall be submitted to the State Government along with the observation, if any, of the Executive Council on the recommendations of the Court before the thirtieth of September, every year.
		(4) Any observations made by the State Government of the annual accounts shall be brought to the notice of the Executive Council and the views of the Executive Council, if any, on such observations shall be submitted to the State Government.
		(5) It shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure not sanctioned in the budget, or in the case of funds granted to the University, subsequent to the sanction of the budget, by the State or the Government of India or the University Grants Commission or any international organization or Foundation, save in accordance with the terms of such grant:
		Provided that the Vice-Chancellor may, in the case of fire, floods, excessive rainfall or other sudden or, unforeseen circumstances, incur non-recurring expenditure upto rupees ten thousand not sanctioned in the budget.
Proceedings of the University	28.	Not act or proceeding of any Authority or Body or Committee of the University shall be invalid merely by reason of:-
authorities and bodies not		(a) any vacancy or defect in the constitution thereof; or
invalidated by vacancies.		(b) some person having taken part in the proceedings, who was not entitled to do so; or
		(c) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as member thereof; or
		(d) any irregularity in its procedure not affection the merits of the case.

Removal of difficulties	29.	(2)	The State Government may, for the purpose of removing, any difficulty by notified order direct that the provision of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient: Provided that no such order shall be made after December, 2005. Every order made under sub-section (1) shall be laid before the State Legislative Assembly. No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty, as is referred to in sub-section (1), existed or required to be removed.
Removal from Membership of the University	30.		The Executive Council may by a two-third majority of the members present and voting remove any person from membership of any Authority or other Body of the University on the ground that such person has been convicted of an offence which, in the opinion of the Executive Council, is an offence involving moral turpitude or upon the ground that he has been guilty of scandalous conduct or had behaved in a manner unbecoming of a member of the University and may upon the same grounds withdraw from any person, any degree, diploma or certificate conferred or granted by the University.
Reference to the Chancellor	31.		If any question arises whether any person has been duly elected or appointed or is entitled to be member of any Authority or other Body of the University or whether any decision of any Authority or the officer of the University (including any question as to the validity of a Regulation) is in conformity with this Act or Regulations made thereunder, the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the chancellor thereon shall be final: Provided that no reference under this Section shall be made: (a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time; (b) by any person other than an Authority or officer of the University or a person aggrieved.
Bar of Suit	32.		No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government or the University or any officer, Authority or Body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of the act or Regulations made thereunder.
Mode of proof of University Record	33.	(1)	A copy of any receipt, application, notice, order, proceedings or a resolution of any Authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as <i>prima facie</i> evidence of such receipt, application, notice, order, proceedings, resolution or a document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions recorded therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

			(2) No officer or servant of the University shall in any proceeding which the University is not a party, be required to produce any document, register or other record of the University, the contents of which can be proved under sub section (1) by a certified copy or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the court made for special cause.
Right Appeal	to	34.	Every employee or student of the University or of a constituent college or affiliated college, shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a Right to Appeal within such time as may be prescribed, to the Executive Council against the decision of any Authority of the University or of the Principal of any such constituent college or an affiliated college, as the case may be, and thereupon the Executive Council may confirm, modify or change the decision appealed against.